20.6.17

भैरुलाल

नि. रोशनलाल

शान्तीलाल

मोहनलाल

नि. विमला

नि. [illegible]बाई

नि. मेघीबाई

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत "प्रशासन गांवों के संग" अभियान शिविर पालिया में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित जो राजीनामा हेतु सहमत नहीं होने से प्रकरण को केम्प कोर्ट में लिया जाकर विचारण किया गया। प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पत्ति होकर भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा मिलकर होकर प्रार्थीया का मौके पर 1/3 हिस्से पर कब्जा होकर काश्त कर रही है, परन्तु भूमि विपक्षीगण के खाते होने से विपक्षीगण भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है। वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पत्ति है या नहीं यह तो मूल वाद में दस्तावेजी एवं मौखिक सबूत लेने पर तय होगा। मूल वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। तब तक भूमि के मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो इस हेतु उभय पक्ष को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा [illegible] जो पालिया तहसील गोगुन्दा की जमाबंदी संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 113, 114, 91, 151 एवं 152 में दर्ज आराजियात के मौके एवं रेकर्ड की यथावत स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर